

धर्मशाला-176215

15 मार्च, 2023

### परिपत्र

विषय: कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान परिवहन भत्ता की स्वीकार्यता के संबंध में।

- उपरोक्त विषय के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान केन्द्र सरकार / हि.प्र. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के समस्त परिसर / कार्यालय दिनांक 23.03.2020 से 03.06.2020 तक बंद थे एवं समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को घर से कार्य करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।
- इसी क्रम में कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों की परिवहन भत्ता की पात्रता के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ज्ञापन सं. 21/3/2020-E.II(B) दिनांक 01.12.2020 के पैरा सं. 3(i) में स्पष्टीकरण दिया है कि Transport Allowance is granted to Central Government employees to compensate them for the cost incurred on account of commuting between residence and office. The Central Government employees, who could not attend office in a whole calendar month during Lockdown period, are not eligible to draw Transport Allowance for that month as these employees had not incurred any expenditure for commuting office.

- विश्वविद्यालय के वित्त विभाग द्वारा उक्त अवधि के दौरान समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को परिवहन भत्ते का भुगतान नियमित रूप से किया गया है जिस पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, चंडीगढ़ (CAG) द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। अतः विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों / कार्यालय प्रमुखों / नियंत्रक अधिकारियों से लॉकडाउन की अवधि (माह अप्रैल, 2020 एवं मई, 2020) के दौरान उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मीगण जिन्होंने विश्वविद्यालय में उपस्थित रहकर कार्य किया है, की जानकारी इस परिपत्र के साथ 'अनुलग्नक-1' पर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 22.03.2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाने का अनुरोध है कि जिससे कि वित्त विभाग द्वारा प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण कर अनुपालना रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, चंडीगढ़ (CAG) को प्रेषित की जा सके।

15/3/2023  
(प्रो. विशाल सूद)  
कुलसचिव

### पृष्ठांकन : समसंख्या

दिनांक : 15 मार्च, 2023

निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

- अधिष्ठाता (अकादमिक), हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
- परिसर निदेशक, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
- परिसर निदेशक, हि.प्र.के.वि., शाहपुर परिसर, शाहपुर, जिला कांगड़ा।
- परिसर निदेशक क, हि.प्र.के.वि., सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा।
- विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
- वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
- परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।

9. निदेशक, IQAC प्रकोष्ठ, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
10. विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
11. विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
12. पुस्तकालय अध्यक्ष, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
13. निदेशक, कंप्यूटर सेंटर, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
14. सहायक निदेशक (राजभाषा), हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
15. सहायक कुलसचिव (सा.प्र.), कुलसचिव कार्यालय, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला।
16. सहायक कुलसचिव (अकादमिक), कुलसचिव कार्यालय, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला।
17. अधिशासी अभियंता (सिविल), हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
18. सिस्टम एनालिस्ट, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
19. जनसंपर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
20. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, हि.प्र.के.वि.- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
21. संबंधित व्यक्ति एवं उनकी व्यक्तिगत फाइल।

✓  
15/03/23  
(कुलसचिव)

**कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान परिवहन भत्ता की स्वीकार्यता  
के संबंध में परिपत्र**

क्र. सं.	कर्मी का नाम एवं पदनाम	उपस्थिति की दिनांक		उपस्थिति दिनांक के संबंध में Documentary Evidence का विवरण (कृपया Documentary Evidence साथ लगायें)
		अप्रैल, 2020	मई, 2020	

**दिनांक:**

(संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर)